संख्या-5/2024/आई/674902/एक-8-2024-रा0-8/1-8099/42/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 24 जून, 2024

विषयः-जनपद गोरखपुर, तहसील कैम्पियरगंज, परगना हवेली, ग्राम थवईपार, तप्पा पचवारा में उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4क(2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने हेतु अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-433/जी0-610/2024-25(5) दिनांक 12.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गोरखपुर, तहसील कैम्पियरगंज, परगना हवेली, ग्राम थवईपार, तप्पा पचवारा में उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने हेतु अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद गोरखपुर, तहसील कैम्पियरगंज, परगना हवेली, ग्राम थवईपार, तप्पा पचवारा को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने की अनुमति निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0स0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा, जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर	कैम्पियरगंज	हवेली	थवईपार, तप्पा पचवारा	धारा-4क(2)/द्वितीय चक्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व अपने प्रस्ताव के अनुसार उक्त ग्राम के राजस्व अभिलेखो के अनुसार पुष्टि भी करा ले तथा उपर्युक्त ग्राम की द्वितीय चक्र की चकबन्दी हेतु निर्गत की जाने वाली विज्ञप्ति में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि पायी जाए, तो उसके संबंध में स्वयं अपने स्तर से शुद्धि पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।